रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272533
CG-DL-E-14052026-272533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2220] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948
No. 2220] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2311(अ).—भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 32 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नागर विमानन महानिदेशालय के उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो भारत सरकार के न्यूनतम उप सचिव या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी हैं और जो वायुयान(खतरनाक माल का परिवहन) नियमावली, 2026 के नियम 24 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट रीति से, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट गंभीरता स्तर से संबंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में, शास्ति के अधिनिर्णयन के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'निर्दिष्ट अधिकारी' के रूप में कार्य कर सकें-

अधिकारी का पदनाम	**उल्लंघन/अतिक्रमण/अनुपालन न करने की गंभीरता का स्तर (वायुयान(खतरनाक माल का परिवहन) नियमावली, 2026 की अनुसूची का पैरा 2 देखें)**
(1)	(2)
उप निदेशक/वरिष्ठ खतरनाक माल निरीक्षक	लेवल 1 से 3
निदेशक	लेवल 4 से 6
उपमहानिदेशक	लेवल 7 से 8
संयुक्त महानिदेशक	लेवल 9 से 10

इसके अतिरिक्त, यदि किसी कार्य/चूक के कारण एक से अधिक गंभीरता स्तरों का उल्लंघन होता है, तो शास्ति का अधिनिर्णयन उक्त तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उच्चतम गंभीरता स्तर के तदनुरूप स्तंभ (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी कारण से,जिसमें अधिवर्षिता,छुट्टी आदि भी शामिल हैं, किसी निर्दिष्ट अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में, उससे ठीक उच्च रैंक का अधिकारी तब तक निर्दिष्ट अधिकारी के रूप में कार्य करेगा जब तक कि वह पद रिक्त रहता है।

[फा. सं. ए वी-11012/4/2025- डी जी]

प्रियंका दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

S.O. 2311(E).—In pursuance of sub-sections (2) and (3) of section 32 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, the Central Government hereby appoints the officers of Directorate General of Civil Aviation specified in column (1) of the Table below, being the officers not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent, to act as designated officers for the purposes of the said Adhiniyam to adjudge the penalty in the manner as specified under rule 24 of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026, in respect to the corresponding entries in relation of severity level specified in column (2) of the said Table:-

Designation of the Officer	**Severity level of contravention/ violation/ non-compliance (See paragraph 2 of Schedule of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2026)**
(1)	**(2)**
Deputy Director/ Senior Dangerous Goods Inspector	Level 1 to 3
Director	Level 4 to 6
Deputy Director General	Level 7 and 8
Joint Director General	Level 9 and 10

Further, in case an action / omission causes the contravention of more than one severity level, the penalty shall be adjudged by the designated officer specified in column (1) corresponding to the highest severity level involved therein specified in column (2) of the above table.

Further, in case of vacancy of a designated officer by virtue of any reason but not limited to superannuation, leave etc., for the matters of his jurisdiction, the officer next higher in rank shall act as the designated officer till such period the vacancy continues.

[F. No. AV-11012/4/2025-D G]

PRIYANKA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.14 15:04:12 +05'30'